समाहरणालय, अरवल।

(जिला शस्त्र शाखा)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
17.06.2016	**न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, अरवल** **शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद सं0 – 137/डी0एम0/2015** **आदेश** श्री सुनिल कुमार, पे0:श्री बैजनाथ प्रसाद, सा0+पो0+थाना–किंजर, जिला–अरवल द्वारा एक एन0पी0बोर रिवॉल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति हेतु वर्ष 2015 में आवेदन पत्र समर्पित किया गया। आवेदक से प्राप्त आवेदन पर विविध शस्त्र वाद कायम करते हुए पुलिस अधीक्षक, अरवल से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त कर दिनांक 02.02.2016 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई एवं पुनः दिनांक 17.06.2016 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई। निर्धारित तिथि को आवेदक उपस्थित हुआ तथा उनका पक्ष सुना गया। साथ ही अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया। सुनवाई के वक्त आवेदक स्वयं उपस्थित होकर बताया कि वे ठीकेदारी का कार्य करते हैं, जिसके कारण इन्हें नगद राशि लेकर आना–जाना पड़ता है। लेकिन इनके द्वारा अपने ठिकेदारी/व्यवसाय के संबंध में कागजात समर्पित नहीं किया गया। तद्आलोक में आवेदक के अनुरोध पर दिनांक 17.06.2016 को तिथि निर्धारित करते हुए इन्हें निदेशित किया गया कि वे अपनी आय एवं व्यवसाय से संबंधित कागजात के साथ निर्धारित तिथि को उपस्थत हों लेकिन उक्त तिथि को भी उनके द्वारा अपने आय एवं व्यवसाय के संबंध में किसी प्रकार का साक्ष्य/कागजात उपस्थापित नहीं किया जा सका। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह पूछने पर कि क्या आपके साथ कभी किसी प्रकार की अपराधिक घटना घटी है अथवा धमकी दिया गया है तथा उन्हें किस प्रकार की खतरा है अथवा कभी इनके द्वारा कभी सन्हा/प्राथमिकी दर्ज कराये जाने से भी इन्कार किया गया है। आवेदक द्वारा मात्र यह कहा गया कि उन्हें असुरक्षा की भावना बनी रहती है अनुज्ञप्ति दी जाए। पुलिस अधीक्षक, अरवल के ज्ञापांक 101/गो0 (शस्त्र), दिनांक 31.03.2015 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जॉचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अरवल के जॉच प्रतिवेदन	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को **मात्र अग्रसारित** किया गया है। **थाना अध्यक्ष, किंजर** द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक **का पेशा ठिकेदारी है।** तदोपरान्त आवेदक के जान माल के सरुक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। लेकिन आवेदक को किसी विशेष सुरक्षा/भय होने के संबंध में **"नहीं"** प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जॉच प्रतिवेदन की **कंडिका 10** के सभी बिन्दुओं पर **नहीं** प्रतिवेदित करने के बावजुद भी आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु **अग्रसारित** की गई है। लेकिन इसके लिए किसी कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। **शस्त्र अधिनियम,1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2) ए** में अंकित है कि "आवेदन पत्र की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भार साधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवायेगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर समर्पित करेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी, ऐसी जॉच, यदि कोई हो, करने के पश्चात, जैसा वह आवश्यक समझे, उप धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अध्याय के अन्य उपबंधों अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत करेगा या अनुदत करने से इन्कार करेगा।

पुलिस अधीक्षक, अरवल से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सुक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निस्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को वर्तमान समय में सुरक्षा के बिंदू पर कोई सुरक्षा/भय/खतरा नहीं है तथा **ऐसे में आवेदक को अरवल जिला से एक एन0पी0बोर रिवॉल्वर/पिस्टल** हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने का कोई **यथेष्ट कारण नहीं है।**

शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं पुलिस अधीक्षक, अरवल से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त **श्री सुनिल कुमार, पे0:श्री बैजनाथ प्रसाद, सा0+पो0+थाना–किंजर, जिला–अरवल** के आवेदित एक **एन0पी0बोर रिवॉल्वर/पिस्टल** की अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को *अस्वीकृत* किया जाता है।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी, अरवल

जिला दण्डाधिकारी, अरवल